कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सिद्धार्थनगर।

पत्रांक– 149 / 2-6 दिनांक : सिद्धार्थनगर : जुलाई 14 /2021,

सेवा में,

प्रबन्धक
रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0,
रोहतास के टेरिडेंन्ट सेकैण्ड फलोर
10, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषयः– रिलायन्स 4 जी परियोजना के अन्तर्गत जनपद–सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग सं0–75 (बेवा–इटवा–डुमरियागंज मार्ग) के किमी0–00.00 से किमी0–42.00 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–233 (बस्ती–बांसी मार्ग) के किमी0–65.60 से किमी0–46.00 तक कुल 61.60 किमी0 एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– विशेष सचिव उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक–पी–47/81–2–2021–800 (42)/2021, दिनांक 22.03.2021 जो मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी, उ0 प्र0, लखनऊ को सम्बोधित व अन्य को पृष्ठांकित है।

विषयगत प्रकरण में सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृत निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धांतिक स्वीकृत प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि सैद्धांतिक स्वीकृति में दिये गये समस्त बिन्दुओ पर अनुपालन आख्या 05 प्रतियों में इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रस्ताव के विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सकें। इसे अति आवश्यक व महत्वपूर्ण समझें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

14/07/21
(चन्देश्वर सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सिद्धार्थनगर।

संख्या– 149 /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14/07/21
(चन्देश्वर सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सिद्धार्थनगर।

Scanned with CamScanner

संख्या पी-47 /81-2-2021-800(42)/2021

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0 प्र0,लखनऊ।

Ad.S.O.
CCF/Nodal
A.O.
24/03/21

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 22 मार्च, 2021

विषय- रिलायन्स 4जी परियोजना के अन्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग सं0-75 (बेवा-इटावा-डुमरियागंज मार्ग) के किमी0 00.00 से किमी0 42.00 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-233(बस्ती-बांसी मार्ग) के किमी0 65.60 से किमी0 46.00 तक कुल 61.60 किमी0 एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-2172/11-सी/एफपी/ यूपी/अदर्स/30152/2017, दिनांक 01-03-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली के दिशा-निर्देश संख्या-11-09/98-एफसी 11-9/98-एफसी, दिनांक 09-7-2015 एवं दिनांक 27-7-2020 में विहित व्यवस्थानुसार रिलायन्स 4जी परियोजना के अन्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर में राज्य मार्ग सं0-75 (बेवा-इटावा-डुमरियागंज मार्ग) के किमी0 00.00 से किमी0 42.00 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-233(बस्ती-बांसी मार्ग) के किमी0 65.60 से किमी0 46.00 तक कुल 61.60 किमी0 एवं 0.6492 हे0 संरक्षित वन भूमि बिना वृक्ष पातन के ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न शर्तो /प्रतिबंधों पर प्रदान करते हैं-

(1) सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष् का पातन नहीं किया जायेगा।

(2) ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड्कों/वर्तमान (Surface Right में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।

(3) ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच. की गहराई 2.00 मीटर तथा चौडाई 1.00 मीटर से अधिक नही होगी।

(4) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।

(5) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

Scanned with CamScanner

(6) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

(7) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

(8) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।

(10) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(11) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।

(13) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।

(14) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(15) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

(16) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।

(17) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(18) उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबंधों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बंधी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

3- प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धांतिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु वैध व अधिकृत

Scanned with CamScanner

लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तो के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति निर्गत किया जायेगा।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।

(2) वन संरक्षक, बस्ती।

(3) जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

(4) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सिद्धार्थनगर।

(5) प्रबन्धक, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि0 रोहतास के टेरीटेन्ड द्वितीय फलोर, 10 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशु0 [illegible])
अनु सचिव।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– २५४२ /11–सी–FP/UP/Others/30152/2017, लखनऊ, दिनाँकः मार्च २५ , 2021

<u>प्रतिलिपिः–</u> वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो के अनुपालन के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति की **बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों सहित तीन प्रतियों** में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>प्रतिलिपिः–</u> प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो के अनुपालन के क्रम में, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति **बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों** तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 14.06.2017 के अनुपालन के क्रम में, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु स्थलीय जाँच करते हुये सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र/उल्लंधन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>प्रतिलिपिः–</u> प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0, रोहतास के टेरिडेन्ट सेकेण्ड फ्लोर, 10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये **भारत सरकार के निर्देशानुसार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर** बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned with CamScanner